न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री सुभाष चन्द शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :– 118/2012

निर्णय दिनांक:– 30.11.2015

उनवान

सत्यनारायण पुत्र जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक

–प्रार्थी

बनाम

1.मोहनलाल पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक
2.रामेश्वर पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक
3.शैतानसिंह पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक
4.तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

–प्रतिपक्षीगण

दावा बाबत उदघोषणा, दु0 इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री सच्चिदानन्द शर्मा वकील प्रार्थी
श्री पी0सी0जैन वकील प्रतिपक्षीगण

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे निम्न प्रकार है।

यह कि उनियारा दरबार सरदार सिंह जी की मृत्यु होने पर उनके पुत्र रावराजा राजेन्द्रसिंह जी द्वारा प्रार्थी के पिता जगदीश पुरोहत को दान स्वरूप स्वयं के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात साबिका ख0न0 39/1/1 रकबा 8 बीघा, ख0न0 136 मे से 3 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 2 कुल रक़बा 11 बीघा 18 बिस्वा दान दी थी तथा कब्जा सुपुर्द किया था। तब से प्रार्थी के पिता का तथा उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। साबिक ख0न0 39 मि0 से हाल ख0न0 44 रकबा 3.75 व 136/1 से हाल ख0न0 46 रकबा 2.58 है0 बनाये गये है। जिसको सिवायचक कर दिया गया, जिसकी पैनेल्टी प्रार्थी निरंतर जमा करवाता चला आ रहा है। दौराने भू प्रबन्ध ही प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 44 व 46 को मोके पर हाल ख0न0 45 मे मिला दिया गया, जबकि हाल ख0न0 45 साबिक ख0न0 133 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा तथा साबिका ख0न0 135 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा से बना है। वर्तमान मे हाल नये नम्बर 45 को भू प्रबन्ध विभाग ने रकबा 6.22 है0 राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कर दिया जबकि ख0न0 45 का साबिक नम्बर पुराने राजस्व रेकार्ड मुताबिक 7 बीघा 11 बिस्वा ही होता है। मोके पर भी ख0न0 45 मे प्रार्थी अपनी दान से प्राप्त 11 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर ही काबिज काश्त चला आ रहा है। रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा पर सुखपाल जाट के वारिसान काश्त करते आ रहे है। भू प्रबन्ध विभाग ने प्रार्थी की भूमि को सिवायचक घोषित कर दिया तथ मोके पर ख0न0 45 मे सम्मिलित कर दिया जो प्रारम्भतः अवैध व प्रभाव शून्य है। ख0न0 45 प्रतिपक्षीगण 1 ता 3 ने खरीद लिया है तथा प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है।

अतः प्रतिपक्षीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि ख0न0 44 व 46 मे रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम डाबला की हद तक किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नही करे, ना काश्त मे बाधा डाले और ना ही प्रार्थी को बेदखल करे।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर का प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षीगण ने जवाब प्रार्थना प्रस्तुत किया कि प्रार्थी का ख0न0 45 से किसी प्रकार का सम्बन्ध नही है। ख0न0 45 पर प्रार्थी का कभी कब्जा काश्त नही रहा है। ख0न0 45 के खातेदार प्रवीणचन्द से प्रतिपक्षी न0 1 ता 3 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। तब से

Scanned by CamScanner

हमारा कब्जा काश्त है। ख0न0 45 साबिक ख0न0 133 व 135 से बना है। जबकि ख0न0 साबिका 39 व 46 साबिक ख0न0 136/1 व 146/2 से बने है। प्रार्थी का ख0न0 45 मे किसी भी हिस्से पर कब्जा काश्त नही है। प्रथम दृष्टया केस , सुविधा का संतुलन प्रतिपक्षी न0 1 के पक्ष मे प्रबल व सिद्ध है। यदि प्रतिपक्षी न0 1 को पाबन्द कर दिया गया तो अपूर्णीय क्षति भी प्रतिपक्षी न0 1 को ही अधिक होगी। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गई। उभय पक्षों के वकील की बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। नकल मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक आराजी से निम्न प्रकार हाल नम्बर कायम होना पाये जाते है:—

हाल		साबिक	
ख0न0	रकबा	ख0न0	रकबा
45	6.22	133	3 बीघा 2 बिस्वा
		135	4 बीघा 9 बिस्वा
44	3.75	39 मी.	—
46	2.58	136/1	3 बीघा 18 बिस्वा
		146/2	—

नकल जमाबन्दी सम्वत 2066 से 2069 वाके ग्राम डाबला मे आराजी ख0न0 45 रकबा 6.22, 78 रकबा 0.82, 113 रकबा 3.56 कुल किता 3 कुल रकबा 10.60 है0 प्रवीणचन्द पुत्र गुलाबचन्द छाबडा सा0 उनियारा जाति महाजन हाल जयपुर की खातेदारी मे दर्ज थी। ख0न0 45 के खातेदार को वादी ने पक्षकार नहीं बनाया है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2066 से 2069 वाके ग्राम डाबला मे ख0न0 44 रकबा 3.75 व ख0न0 46 रकबा 2.50 सिवायचक काबिल काश्त दर्ज है। प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी ख0न0 39/1/1 मे से 8 बीघा व ख0न0 136/1 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम डाबला को श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 3.6.1969 को श्री जगदीश पुरोहित पुत्र भूरालाल निवासी उनियारा को दान करने का पाईपेपर कागज प्रस्तुत किया है, जो रजिस्टर्ड नहीं है। वादी के पिता जगदीश को जानकारी होने के बाद भी उनके द्वारा उक्त आराजी को अपने नाम खातेदारी मे लगवाने बाबत कोई कार्यवाही नहीं की गई है। प्रार्थी ने उक्त आराजी पर अपना कब्जा काश्त होने बाबत कोई राजस्व रेकार्ड भी प्रस्तुत नही किया है।

उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे नहीं है। वादग्रस्त आराजी ख0न0 44 रकबा 3.75 व ख0न0 46 रकबा 2.50 सिवायचक दर्ज होने से प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति नहीं है। न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नही समझता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 30.11.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुभाषचन्द शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

Scanned by CamScanner